# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 45/2020

गोदावरी पत्नि जगदीश जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा जिला दौसा राज0

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 9.11.2020 उनवानी सरकार बनाम गोदावरी प्रकरण संख्या 314/2020 धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित : 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

:: निर्णय :: दिनांक 29.07.2022

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल ने दिनाक 9.11.2020 को ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा के आ0ख0 न0 2 रकबा 0.01है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, शास्ति एवं 60 दिवस के सिविल कारावास से दंडित कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने अपीलांट के खिलाफ झूंठे तथ्यों के आधार पर एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलांट ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 2 के रकबा 0.01है. पर अतिचार किया है। जिस पर अपीलांट की बिना तामील करवाये बिना व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलांट का कोई अतिक्रमण सिद्ध हुए बिना अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल ने दिनांक 9.11.2020 को अपीलांट के खिलाफ बेदखली, शास्ति एवं 60 दिवस के सिविल कारावास से दंडित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल का निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कोई नोटिस दिये बिना, अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह किये बिना एवं अपीलांट का पुनः अतिचार सिद्ध हुए बिना व पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत हुए बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है ना ही आज कोई अतिक्रमण है। अपीलांट के खिलाफ पटवारी हल्का द्वारा झूंठी रिपोर्ट पेश की गई थी। कानूनन सजा जैसा आदेश जब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक पुनः अतिचार सिद्ध नही हो और पूर्व बेदखली का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं हुआ हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व बेदखली का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही हुआ था किन्तु सजा जैसा आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल दौसा द्वारा मुकदमा नंबर 314/2020 उनवानी सरकार बनाम गोदावरी में पारित निर्णय दिनांक 9.11.2020 को निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:38 IST
Reason: SelfAttested

लगातार ....2 पर

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसे अपीलांट की पुत्र वधु द्वारा प्राप्त किया गया। अपीलांट बाद तामील नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2077 में राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 0.01 है0 पर गोबर डालकर कब्जा किया जाना अंकित है। साथ ही पटवारी की रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट बाद तामील नियत तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुई है। साथ ही पटवारी हल्का बीनावाला द्वारा अपनी रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा राजकीये चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होता है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण हटा लेने के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र का भौतिक सत्यापन तहसीलदार सैंथल से कराये जाने पर तहसीलदार सैंथल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अपीलांट ने दिनांक 14.6.2022 तक अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया है। अपीलांट द्वारा अतिचार किया गया रकबा 0.01है0 जो कि बहुत कम क्षेत्रफल है व अपीलांट द्वारा खसरा नंबर 2 से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर की शर्त पर अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.11.2020 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29 जुलाई 2022 को लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 12:47:38 IST
Reason: SelfAttested

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा